



संख्या- १२६/जी०एस०(शिक्षा)/A15-50/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू होप टॉउन (शीशमबाडा), सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : ११ सितम्बर, 2023

महोदय,

कृपया हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-634, दिनांक 11.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलाधिपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित संरचना के वृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-36(1) के अधीन निम्नवत संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अपाधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु आन्तरिक रूप से मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है:-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी (कॉलेज ऑफ नर्सिंग) मझोन, पौधा, वाया-प्रेमनगर, देहरादून	बी०एससी०-नर्सिंग	60 (20 सीट वृद्धि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता)	2022-23
	पो० बेसिक बी०एससी०-नर्सिंग	30 (नवीन अस्थाई सम्बद्धता)	

(1) प्राभूति राशि मानक अपूर्ण है। यद्यपि प्राभूति राशि के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है तथापि विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि को पुनरीक्षित करने विषयक शासनादेश निर्गत किया जाता है, तब तक संस्थानों से पूर्व से नियत प्राभूति धनराशि जमा कराई जाय और साथ में संस्थान से प्राभूति हेतु इस आशय का शपथ-पत्र भी प्राप्त किया जाय कि प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह मान्य होगा और तदनुसार प्राभूति राशि की कार्यवाही पूर्ण कर दी जायेगी।

(2) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(4) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अदगतार्थ उपलब्ध कराये।

Signed by Ravinath Raman

भवदीय,

Date: 07-09-2023 10:38:48

(रविनाथ रामन)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या— 826 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A15-50/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
- 3 ✓ कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फ़ाईल हेतु।

आज्ञा से,



(स्वाति एस० मदीरिय)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।